जिला कमाण्डेन्ट
होमगार्ड्स हल्द्वानी
(नैनीताल)

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963

प्रदेश कमाण्डेन्ट
होम गार्ड्स, [redacted]

होम-गार्ड्स प्रधान कार्यालय
जेल रोड, लखनऊ

ह. H गार्ड्स, अल्मोड़ा

होमगार्ड्स कार्यालय
(नैनीताल)

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम सं० 29)

जैसा कि [सन् 1972 के संशोधन अधिनियम (अधिनियम 4, 1972)] द्वारा संशोधित।

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में होम-गार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के नाम से एक दल के संघटन की व्यवस्था की जाय जिसकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कर्त्तव्यों के लिये किया जा सके और जो शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सहायक के रूप में भी काम कर सके।—

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) जिला कमाण्डेन्ट का तात्पर्य किसी जिले में होम गार्ड्स के समादेशाधिकारी (Officer Commanding) से है,*

(ख) होम-गार्ड्स के रूप में "कर्तव्य" या "सेवा" के अन्तर्गत इस रूप में प्रशिक्षण लेना भी है;

(ग) अशासकीय सेवा के संबंध में "सेवायोजक" का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अन्तर्गत उसका अधिकृत एजेन्ट या प्रबन्धक भी है, और निगम, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (association) की दशा में, इस के अन्तर्गत उसका निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव या अन्य व्यक्ति भी है जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिये प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो;

(घ) "अत्यावश्यक सेवाओं" का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल (pioneer and engineering corps), अग्निशामक दल (fire brigades) उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं विद्युत् सम्भरण अधिष्ठान का परिचालन और ऐसी अन्य सेवाओं से है जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिये अत्यावश्यक विज्ञापित की जायें;

*संशोधित अधिनियम 4, 1972 द्वारा

(ङ) "होम-गार्ड" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस रूप में भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी हो ;

(च) "पुलिस" का वही तात्पर्य होगा जो पुलिस ऐक्ट, 1861 में शब्द "police" के लिये दिया गया हो; — ऐक्ट संख्या 5, 1861

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "असार्वजनिक सेवा" का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से, और भिन्न किसी सेवा से है;

(झ) *

(ञ) "राज्य के अधीन सेवा" का तात्पर्य "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 12 में यथापारिभाषित "राज्य" के अधीन सेवा से है और इसके अन्तर्गत परिनियत निगमों के अधीन सेवा भी है;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है और

(ठ) *

होम-गार्ड् स का संघटन

3—उत्तर प्रदेश होम-गार्ड् स नाम से जिसे आगे "होम-गार्ड् स" कहा गया है, एक स्वयंसेवक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायगा और ऐसी रीति से संगठित किया जायगा जो नियत की जाय ।

कृत्य

4—होम-गार्ड् स के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे;

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे ;

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिये, जो नियत किये जायें, आपात्त-कालीन दल के रूप में कार्य करेंगे ।

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिये कार्यात्मक इकाइयों की व्यवस्था करेंगे; और

(ङ) वे लोक-कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायं ।

कमान्डेन्ट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

5—राज्य सरकार, होम-गार्ड् स के कमान्डेन्ट जनरल, जिसे आगे "कमान्डेन्ट जनरल" कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जायें ।

होम-गार्ड् स का अधीक्षण और प्रशासन

6—(1) होम-गार्ड् स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

(2) संपूर्ण राज्य में होम-गार्ड् स का प्रशासन कमान्डेन्ट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित कर दे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होम-

(*) संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा निरसित

संख्या
61

भाग का प्रशासन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के संबंध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनका कमान्डेन्ट जनरल, राज्य के शेष भाग में करे।

होम गार्ड्स इकाइयाँ (नियंत्रण)

*(3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए किसी जिले में होम गार्ड्स का प्रशासन जिला कमान्डेन्ट में निहित होगा जिसमें होम गार्ड्स का और उसके द्वारा किया जायगा।

7—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होम-गार्ड्स के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना-पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिये सक्षम हो।

भर्ती आदि

(2) होम-गार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण-पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे, जो नियत किया जाये और जिसके आधार पर उसमें होम-गार्ड के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों में निहित किया जायगा तथा उसे होम-गार्ड के कर्तव्यों का पालन करना होगा।

(3) होम-गार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाय।

8- इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

होम गार्ड्स को बुलाना

*(क) जिला मजिस्ट्रेट (या जिला कमान्डेन्ट) **आदेश द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होमगार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिये बुला सकता है,

(ख) होम-गार्ड्स का कमान्डेन्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, किसी होम-गार्ड को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिए बुला सकता है।

—(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब कोई होम-गार्ड धारा 8 के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिए या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलाया जाय, तो उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हों, और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानों ऐसा होम-गार्ड पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण किये था जो वह तत्समय होम-गार्ड में किये हुए है।

होम गार्ड्स के अधिकार, विशेषाधिकार, और संरक्षण

ऐक्ट संख्या 5, 1961

*संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित।

**संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़ा गया।

(2) होम-गार्ड के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी होम-गार्ड के विरुद्ध कोई अभियोजन तब तक न चलाया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र पर, जहां होम-गार्ड भर्ती किया गया हो या जहां उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति न ले ली जाये।

होम गार्ड स लोक सेवक होंगे, किन्तु असैनिक सेवक नहीं होंगे

10—इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाला होम-गार्ड इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक (public servant) समझा जायगा। ऐक्ट संख्या 186

स्पष्टीकरण—होम-गार्ड के रूप में अपनी भर्ती होने के ही कारण होम-गार्ड असैनिक पद धारण करने वाला न समझा जायगा।

सेवा करने का दायित्व

11—(1) होम-गार्ड, एतदर्थ बनाये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक होम-गार्ड्स की किसी ऐसी इकाई में सेवा करने के लिये बाध्य होगा जिससे वह तत्समय सम्बद्ध हो।

(2) आरम्भिक अवधि, जिसमें होम-गार्ड्स से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती है, उसकी भर्ती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

(3) प्रत्येक होम-गार्ड, जब वह नियत रीति से काम के लिये बुलाया जाय, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी होम-गार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो।

(4) काम के लिये बुलाये गये होम-गार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायेगा जो नियत किया जाय।

(5) होम-गार्डों को साधारणतया उन क्षेत्रों में जहां वे भर्ती किये गये हों सेवा करने के लिये और केवल अंशकालिक काम के लिये बुलाया जायगा।

सेवोन्मुक्ति, निलम्बन और त्याग-पत्र

12—(1) कमान्डेन्ट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होम-गार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्ति या निलम्बित करने का अधिकार होगा। कोई होम-गार्ड ऐसे अधिकारी को, जो नियत किया जाय, एक मास का नोटिस देकर बल से त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक होम-गार्ड धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होम-गार्ड्स से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होम-गार्ड्स का सदस्य न रह जाय, कमान्डेन्ट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाय या जिन्हें कमान्डेन्ट जनरल निर्देशित करें, अपनी नियुक्ति का प्रमाण-पत्र और शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा (accoutrements), वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हों, तुरन्त लौटा देगा।

(4) कोई मजिस्ट्रेट, इस प्रकार न लौटाये गये किसी प्रमाण-पत्र, शस्त्रास्त्र साज-सज्जा, वस्त्र या अन्य वस्तुओं की, जहां-जहां भी वे पाये जायें, तलाशी ले

होम गार्ड्स, अल्मोड़ा

ऐक्ट संख्या 5, 1898

और उन्हें अधिगृहीत करने के लिये वारंट जारी कर सकता है । इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारंट कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायगा ।

(वैलीडाय)

ऐक्ट संख्या 5, 186

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू न समझी जायगी जो कमान्डेन्ट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गयी हो जिसे वह दी गयी थी ।

शास्तियां

13—(1) यदि कोई होम-गार्ड—

(क) धारा 8 के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो; या,

(ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी (Superior officer) या अन्य सक्षम अधिकारी के किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में उपेक्षा करे या इन्कार करे या जब वह काम पर हो तो होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन न करे; या

(ग) अपना पद अभित्यक्त कर दे ; या

(घ) कायरता का दोषी हो; या

(ङ) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अननुमत शारीरिक बल प्रयोग (unwarranted personal violence) करे;

तो वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास की अवधि तक का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर धारा 12 की उपधारा (3) का पालन करने में उपेक्षा करे या उसका पालन न करे, तो वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा ।

(3) कमान्डेन्ट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना, उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायगा ।

(4) (जिला कमान्डेन्ट)* के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधिकारी किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त हो ।

(5) जब अधिकारी से भिन्न होम-गार्ड्स का सदस्य उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, तो (जिला कमान्डेन्ट)* या ऐसा अन्य अधिकारी, जो नियत किया जाय, जिसके अधीन उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निदेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायेगी

*संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

और तदुपरान्त उक्त कमान्डेन्ट या अन्य अधिकारी उसे निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्:—

(क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर अवरोध जो उपयुक्त समझा जाय;

(ख) सात दिन से अनधिक अवधि के लिये क्वार्टरों में अवरोध सहित या अवरोध रहित दण्ड-स्वरूप कवायद (ड्रिल), अतिरिक्त काय, कठोर परिश्रम (फेटीग) या अन्य काम; और

(ग) भत्तों की जब्ती।

होम गार्ड को कार्य ग्रहण करने की अनुमति देने पर सेवायोजक की आपत्ति

14—(1) उस स्थिति के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होम-गार्ड को जो तत्समय उसके द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होम-गार्ड के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबन्ध में जो उसके और ऐसे होम-गार्ड के बीच हो, किसी बात के होते हुए भी उसकी कार्य अवधि, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें, ऐसे सेवायोजन में व्यतीत की गयी अवधि समझी जायगी।

(2) कोई भी सेवायोजक किसी कर्मचारी को उसके होम-गार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायगा जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन सिद्ध-दोष ठहराया जाय वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी को उस दर पर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवायोजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनधिक के पारिश्रमिक का भुगतान कर और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थ-दण्ड हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक उसने कि सम्बद्ध कर्मचारी का होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिये प्रार्थना-पत्र आगे न बढ़ाया हो, या कर्मचारी ने उसको सेवायोजन के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय होम-गार्ड्स का सदस्य होने की सूचना न दे दी हो।

नियम और विनियम बनाने का अधिकार

15—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और इसके उपबन्धों को सामान्यतया प्रभावी बनाने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) होम-गार्डों का संघटन, उनकी अर्हतायें, भर्ती की रीति, स्वास्थ्य परीक्षा, गणवेश, अनुशासन, शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, यत्र और वर्दी और रीति जिसके अनुसार वे सेवा के लिये बुलाये जायं या उनसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाय;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए होम-गार्ड द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करना और होम-गार्डों तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनुरूपता;

(ग) शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबन्धों के अधीन किसी आभार या दायित्व से मुक्त किया जा सकता है;

(घ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमान्डेन्ट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्य न सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

प्रथम अनुसूची

[धारा 7 (2)]

घोषणा का प्रपत्र

मैं————————आत्मज————————निवासी————————एतद्-द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञा न करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में जिसके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को मैंने पूरी जानकारी से ग्रहण किया है भर्ती किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी है (यह अवधि मेरी सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है), वस्तुतः सेवा करूंगा और मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बढ़ाई गयी अवधि में उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर सेवा करूंगा यदि मुझे ऐसी अवधि में काम पर बुलाया गया। मैं होम-गार्ड्स के सदस्य के कर्त्तव्यों का पालन पूरी दक्षता और जानकारी से करूंगा और अपने जीवन का जोखिम होते हुए भी सर्वत्र भारतीय संविधान तथा राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा के लिये उद्यत रहूंगा।

————————

हस्ताक्षर।

पता——

————————

————————

————————

द्वितीय अनुसूची

| धारा 7 (2) |

नियुक्ति के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

नाम----------आत्मज----------निवासी----------को उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 7(2) के अधीन उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब वह बंधतः काम पर हो तो पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करने या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाये जाने पर, उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस के तदनुरूप पद के किसी अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार उसमें करे उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

नियुक्ति का दिनांक----------

स्थान----------

दिनांक----------

नियत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 1 जनरल (पी० आर० डी०)—1973—1,000 (मे०)